न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—157 / 2020 / नजरसानी प्रा0पत्र (2020 / 00157)

1. श्रीमती बदाम देवी पत्नी रामेश्वरलाल, जाति जाट, निवासी ग्राम हरमाड़ा तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर ।

प्रार्थी

बनाम

1. मंदिर मूर्ति रघुनाथ जी महाराज जरिये पुजारी सुवादास चेला गोपीदास, जाति साधू (रामावत), निवासी हरमाडा, तह0 रूपनगढ़, जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार एवं उप पंजीयक, रूपनगढ़, जिला अजमेर ।

अप्रार्थीगण

नजरसानी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 229 राज0काश्त0अधि0 1955 विरूद्ध आदेश राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर दिनांक 26.8.2020 अंतर्गत अपील संख्या 328 / 2019.

उपस्थितः—

1. श्री एन0एस0राजावत, वकील प्रार्थी ।
2. श्री अभिषेक शर्मा, वकील अप्रार्थी संख्या 1.

निर्णय

दिनांकः— 21.12.2020

1. यह नजरसानी प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या 328 / 2019 बउनवान श्रीमती बदाम देवी बनाम मंदिर मूर्ति श्री रघुनाथ जी महाराज में पारित निर्णय दिनांक 26.8.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत हुआ है।
2. संक्षेप में नजरसानी प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादी / रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा जरिये वाद मित्र सुवादास एक राजस्व वाद संख्या 22 / 2016 अपीलांट, रेस्पो0 संख्या 2 के पिता एवं रेस्पो0 संख्या 3 के विरूद्ध विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ के समक्ष इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम हरमाडा वर्तमान तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर अवस्थित साबिक खसरा संख्या 1261 रकबा 13—6—00 जिसके वर्तमान खसरा नंबर 811 रकबा 15—13—00 बीघा कायम किये गये है, खेवट फसली संवत् 1363 के अनुसार मंदिर मूति श्री रघुनाथजी के नाम दर्ज रही है, जिसे राजस्व कर्मचारियों द्वारा गैर कानूनी एवं त्रुटिपूर्ण इंद्राज कारित करते हुए रमेशचंद उर्फ रमेशदास के नाम दर्ज कर दी गई जिसके द्वारा गैर कानूनी रूप से उक्त भूमि को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 2.3.2016 द्वारा प्रार्थिया के हक में विक्रय कर दिया गया है जो कि अनाधिकृत रूप से विवादित भूमि पर कब्जा किये जाने पर आमादा है । अतः गैर कानूनी एवं त्रुटिपूर्ण इंद्राज को दुरूस्त कर खातेदार घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा की आज्ञाप्ति पारित की जावे । वाद पत्र के साथ समान कथनों के आधार पर प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि प्रार्थना पत्र संख्या 19 / 2016 भी प्रस्तुत कर ताफैसला मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा प्रसारित किये जाने का निवेदन किया ।

अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र दर्ज कर दिनांक 7.4.2016 को अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा प्रसारित की तथा अप्रार्थीगण को वाद के नोटिस जारी किये गये । वाद एवं प्रार्थना पत्र के नोटिस प्राप्त होने पर प्रार्थिया द्वारा दिनांक 25.7.2018 को एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0द ी0 पेश करते हुए वाद एवं प्रार्थना पत्र के कथनों से इंकार कर पूर्व में प्रस्तुत प्रकरण संख्या 49/1993 में उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.10.1994 के तहत धारा 11 जा0दी0 के अनुसार रेसज्यूडिकेटा से वर्जित होने तथा रमेशचंद पुत्र लक्ष्मणदास को 55 वर्ष खुदकाश्त के आधार पर आदेश दिनांक 21.10.1963 के अनुसार खातेदारी एवं कब्जा काश्त होने से मूल वाद एवं प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया । तत्पश्चात् दिनांक 25.10.2018 को बहस सुने जाने के उपरांत प्रकरण को पुनः दिनांक 17.1.2019 को बहस हेतु नियत कर दिया तथा दिनांक 7.4.2016 को पारित एकपक्षीय निषेधाज्ञा को सीपीसी के आदेश 39 नियम 3–ए में उल्लेखित विधिक प्रावधानों के विपरीत बिना किसी उचित, पर्याप्त एवं विधिक आधार के यथावत् बनाये रखे जाने में विधिक त्रुटि कारित किये जाने से अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ के आदेश दिनांक 7.4.2016 से व्यथित होकर अपील संख्या 328/2019 न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की जिसे न्यायालय हाजा ने अपने निर्णय दिनांक 26.8.2020 द्वारा मियाद के बिन्दु पर खारिज कर दी। न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 26.8.2020 के निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थी ने यह नजरसानी प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया है ।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण के उपस्थित होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील प्रार्थी ने नजरसानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.8.2020 न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । विधिक प्रावधानों एवं प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में एकपक्षीय अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित किये जाने के पश्चात् अधी0न्याया0 द्वारा आदेश 39 नियम 3–ए में उल्लेखित विधिक प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने एवं निर्धारित समयावधि में अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को निर्णित नहीं किये जाने पर व्यथित पक्षकार को अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश के विरूद्ध धारा 225 राज0काश्त0अधि0 के तहत प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने का विधि के तहत अधिकार प्रदान किया गया है । ऐसी स्थिति में अपील मियाद बाहर प्रस्तुत होना स्वाभाविक है । इसी प्रकार वर्तमान प्रकरण में अधी0न्याया0 द्वारा अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 7.4.2016 को प्रार्थीया के पूर्ण प्रयास किये जाने के उपरांत भी निर्धारित समयावधि में निर्णित नहीं किये जाने के कारण प्रथम अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई तथा अपने कथनों के समर्थन में मान0 राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की फुल बैंच द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत भी प्रस्तुत किये गये पर न्यायालय हाजा द्वारा पत्रावली पर विद्यमान साक्ष्य, विधिक प्रावधानों एवं प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों का गहनता से अध्ययन किये बिना निर्णय दिनांक 26.8.2020 को पारित किया गया है। विधिक प्रावधानों एवं प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में किसी भी न्यायालय द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र को निस्तारित किये जाने से पूर्व प्रकरण के गुणावगुण पर भी विवेचन व विश्लेषण किया जाना विधि का आज्ञापक सिद्धांत है । प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों के तहत प्रकरण गुणावगुण पर सुढ़ृढ़ होने की स्थिति में मियाद अवधि को क्षमा किया जाना भी न्यायहित में आवश्यक है । इस संबंध में विद्वान वकील प्रार्थी ने

आर0आर0डी0 1998 पेज 319 राजस्थान उच्च न्यायालय पेश किया । विद्वान वकील प्रार्थी ने बहस में आगे कथन किया कि न्यायालय हाजा ने उपखण्ड अधिकारी द्वारा आदेश 39 नियम 3–ए जा0दी0 की पालना की है अथवा नही इस पर किसी प्रकार निर्णय पारित नहीं कर निर्णय दिनांक 26.8.2020 पारित किये जाने में विधि त्रुटि कारित की है । यह भी कथन किया कि अपील में उभयपक्ष द्वारा गुणावगुण एव धारा 5 मियाद अधि0 दोनों पर सम्मिलित रूप से बहस की गई है जिसके आधार पर न्यायालय हाजा को दोनों ही आधारों पर निर्णय पारित किया जाना चाहिये था । आदेश 39 नियम 3–ए जा0दी0 की पालना नहीं किये जाने पर उसके विरूद्ध अपील मियाद बाहर ही प्रस्तुत होती है । चूंकि उससे पूर्व निर्धारित मियाद अवधि में तो व्यथित पक्षकार द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत कर अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के विरूद्ध चाराजोही की जाती है । न्यायालय हाजा ने फुल बैंक के निर्णय का गहनता से अध्ययन किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो नजरसानी के माध्यम से निरस्तनीय है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना नजसानी स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या 328/2019 में पारित निर्णय दिनांक 26.8.2020 निरस्त किया जाकर मूल अपील को स्वीकार किया जाकर अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 7.4.2016 को निरस्त किया जावे । विद्वान वकील प्रार्थी ने अपने कथनों की पुष्टि में मान0राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की फुल बैंच द्वारा रिवीजन/एल0आर0/9867/2012/नागौर बउनवान जगदीश प्रसाद बनाम भोपाल राम वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 12.3.2014 का न्यायिक दृष्टांत एवं आर0आर0डी0 1998 पेज 319 का न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किया।

5. जवाब में विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत् है तथा निर्णय में ऐसा कोई एरर अपरेंट ऑफ दॉ फेस जाहिर नहीं है । न्यायालय हाजा ने अपील मियाद बाहर होने से मियाद के बिन्दु पर खारिज की है जो विधिसम्मत् निर्णय है । यह भी कथन किया कि प्रकरण को वापिस नये सिरे से नहीं सुना जा सकता है । यदि प्रार्थी को लगता है कि निर्णय में त्रुटि है तो भी त्रुटि के आधार पर पुनरावलोकन विधि अनुसार संधारण योग्य नहीं है । प्रार्थी दस्तावेजी साक्ष्यों से नजरसानी प्रार्थना पत्र को साबित नहीं किया है । अतः नजरसानी प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे। इस संदर्भ में वकील अप्रार्थी ने 2019 (2) आर0आर0टी0 पेज 900 एवं 1342 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र में नजरसानीकर्ता का मुख्य आधार आदेश 39 नियम 3–ए जा0दी0 की पालना अधी0न्याया0 द्वारा नहीं की गई है इस कारण अपील संख्या 2019/00328 प्रस्तुत की गई । यह भी कथन किया कि हाजा न्यायालय द्वारा अपील के गुणावगुण का अवलोकन किये बिना अपील मियाद बिन्दु पर ही निरस्त कर दी गई जो कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की फुल बैंच द्वारा रिवीजन/एल0आर0/9867/2012/नागौर बउनवान जगदीश प्रसाद बनाम भोपाल राम वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 12.3.2014 में प्रतिपादित सिद्धांतों के विपरीत अपील मियाद बिन्दु पर खारिज की गई है । इस संबंध में मान0 राजस्व मण्डल के उपरोक्त निर्णय दिनांक 12.3.2014 का ससम्मान अवलोकन किया गया । उक्त निर्णय के पैरा संख्या 78 में अपीलेट कोर्ट के लिए अपील को निस्तारण करने हेतु गाईड लाईन क्रम संख्या 1 से 7 दी गई है । गाईड लाईन की क्रम संख्या 2 में स्पष्ट रूप से यह निर्देश दिये गये है किः– '' The Appellate Courts have no jurisidiction to entertain

appeals against such ad-interim ex-parte orders which are effective only till next date of hearing and have been passed under Rule 3 and 3 A of Order 39 of the Code or where there is no order of the trial court on the application of temporary injunction or appointment of receiver."

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 7.4.2016 को अग्रिम तारीख पेशी दिनांक 5.5.2016 तक मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया गया था । अप्रार्थी दिनांक 6.10.2016 को अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित जवाब हेतु समय चाहा । दिनांक 5.7.2018 को अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांट/अप्रार्थी को जवाब पेश करने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया गया । इसके पश्चात् दिनांक 25.7.2018 को अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश करने के बजाय प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 एवं आदेश 8 नियम 1 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसके जवाब में पत्रावली विचाराधीन रही । दिनांक 29.8.2019 को प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियत 4 जा0दी0 पेश किया । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी/अपीलांट द्वारा दिनांक 7.4.2016 के अंतरिम आदेश के विरूद्ध जवाब पेश कर उक्त अंतरिम आदेश को निरस्त करने की चाराजोही नहीं की गई है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी/अपीलांट दिनांक 6.10.2016 को अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित हो चुके थे जिन्हें आदेश दिनांक 7.4.2016 की पूर्ण जानकारी थी । इसके बावजूद भी आदेश दिनांक 7.4.2016 के विरूद्ध दिनांक 2.9.2020 को न्यायालय हाजा के समक्ष अपील पेश की जो कि भारी मियाद बाहर बिना किसी न्यायोचित कारण के पेश की थी जिसे न्यायालय हाजा द्वारा अपने आदेश दिनांक 26.8.2020 को मियाद के बिन्दु पर निरस्त किया गया है जिसमें कोई भी एरर अपेरेंट ऑन दॉ फेस ऑफ रिकार्ड नहीं है । नजरसानीकर्ता द्वारा मान0 राजस्व मण्डल की फुल बेंच के निर्णय की पेरा संख्या 78 के क्रम संख्या 2 के विपरीत अपील पेश की गई जो कि न्यायालय हाजा द्वारा विधिसम्मत् रूप से खारिज की गई है । प्रार्थी का नजरसानी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

8. अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर मूल अपील पत्रावली के साथ संलग्न हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 21.12.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर